आम बजट में ई-वाहन उद्योग को प्रोत्साहन की उम्मीद

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

वर्तमान में विमुद्रीकरण ने संपूर्ण तौर पर वाहन उद्योग के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में वाहन उद्योग को उमीद है कि आने वाले 2017 के केंद्रीय बजट में ग्राहकों को वाहन खरीद के लिए प्रोत्साहित करने और वाहन उद्योग के लिए माहौल सकारात्मक बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

जीएसटी लागू होने पर उद्योग को करों से राहत का भरोसा

ऑटो मोबाइल उद्योग में शामिल कंपनियां फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहन योजना के चलते विस्तार पर काम कर रही हैं। उन्हें आने वाले केंद्रीय बजट से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उमीद है। बजट से उमीद है कि बजट से कम से कम 5 साल के लिए बड़ी राहत मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और पूरे उद्योग को संपूर्ण तौर पर राहत मिलेगी। सरकार ने साल 2015 में फेम इंडिया योजना को प्रस्तुत किया था ताकि पर्यावरण अनुकल वाहनों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें अनुमान लगाया गया कि पहले दो साल में 795 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी।

फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है। लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज के सीईओ आयुष लोहिया का मानना है जीएसटी को लेकर वाहन उद्योग को उमीद है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में काफी लाभ होने की उम्मीद है।

हर्बल दवाओं के बेलगाम विज्ञापनों पर लगेगी लगाम

■ प्रस, नई दिल्ली

उम्मीद कीजिए कि जल्द ही आपको हर्बल दवाओं से कई तरह की बीमारियों का इलाज करने का दावा करने के इश्तहार नहीं दिखेंगे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद अब आयुष मंत्रालय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस किस्म के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कमर कस रहा है। इस मकसद से उसने शुक्रवार को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के साथ एक सहमति-पत्र पर दस्तखत किए। इसके मुताबिक, किसी भी हर्बल दवा के बारे में भ्रामक दावे किए जाने की शिकायत मिलने पर आयुष मंत्रालय उसे एएससीआई को भेजेगा और वह इस पर जरूरी कार्रवाई कर विज्ञापन को रोकेगी। मंत्रालय ने हाल में ही इस बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया था और सभी संबद्ध पक्षों से राय मांगी थी। गौरतलब है कि हाल के सालों में विभिन्न माध्यमों में ऐसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है जिनमें हर्बल दवाओं के जरिये कैंसर, किडनी की बीमारियों, डायबिटीज, मोटापे, गंजेपन और कई किस्म के रोगों के इलाज का दावा किया जाता है।

करोड़ों का कारोबार

सूत्रों का कहना है कि ऐसे कई प्रॉडक्ट्स बिना पुख्ता क्लीनिकल ट्रायल के बाजार में बिक रहे हैं और लोग भ्रमित हो रहे हैं। साथ ही उनका पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इस समय बाजार में ऐसे उत्पादों की भरमार है और इनका करोड़ों का कारोबार है। मंत्रालय चाहता है कि इस पर लगाम लगे। एएससीआई के साथ सहमति-पत्र पर दस्तखत होने के बाद आयुष सेक्रटरी अजीत शरण ने कहा कि जनता को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा। लोग किसी भी गुमराह करने वाले विज्ञापन की शिकायत मंत्रालय से कर सकते हैं।

NBT View

यह नए किस्म की नीमहकीमी है जिसमें प्रचार के बल पर कंपनियां बनाकर तकरीबन हर मर्ज के इलाज का दावा करने वाली हर्बल दवाएं अरसे से बेची जा रही हैं। बिना क्लीनिकल ट्रायल के बिकने वाले ये हर्बल प्रॉडक्ट अगर इतने ही कारगर होते तो हमारा देश दुनिया के सबसे सेहतमंद मुल्कों में शामिल होता। हैरानी है कि इस गोरखधंधे पर सरकार की अब तक नजर कैसे नहीं गई। बेशक, किसी भी कंपनी को विज्ञापन करते हुए अपनी चीजें बेचने का हक है, पर प्रॉडक्ट से जुड़े दावों की परख तो सरकार और उसके मंत्रालयों को ही करनी होगी।

ऐड के लिए करना होगा आवेदन

दूसरी ओर, इस बाबत तैयार किए गए ड्राफ्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कंपनी अपने हर्बल प्रॉडक्ट का विज्ञापन देना चाहती है तो उसे एक निर्धारित फॉर्म में राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। इसमे प्रॉडक्ट में इस्तेमाल हो रही सामग्री के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही उसकी दक्षता, क्वॉलिटी और सेफ्टी के बारे में वैज्ञानिक सबूत देने होंगे। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी कंपनी के दावे से संतुष्ट होगी, तभी उसके विज्ञापन को मंजूरी दी जाएगी।